रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012024-251596
CG-DL-E-25012024-251596

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 25, 2024/माघ 5, 1945
No. 56] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 2024/MAGHA 5, 1945

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2024

फा. सं. ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (ई).—आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 54 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 में, अनुसूची में,—

(क) स्तंभ (1) में, "निजी सचिव" पद के सामने, स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि "40* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय'' अंकों, कोष्ठकों और शब्दों के लिए, "38" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) स्तंभ (1) में, "अनुभाग अधिकारी" पद के सामने, स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि "59* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय'' अंकों, कोष्ठकों और शब्दों के लिए, "61" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और

(ग) स्तंभ (1) में, "सहायक तकनीकी अधिकारी" पद के सामने, स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि "प्रतिनियुक्ति/ आमेलन/ सीधी भर्ती" शब्दों के लिए, "प्रतिनियुक्ति / आमेलन / सीधी भर्ती / संविदा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

अतुल कुमार चौधरी, उप महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./710/2023-24]

नोट : मूल विनियमों को भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (2020 की संख्या 01), दिनांक 21 जनवरी, 2020 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और उनको अंतिम बार अधिसूचना संख्या ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (ई), दिनांक 25 सितंबर, 2023 के द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे भारत का राजपत्र, भाग-III, खंड 4, दिनांक 26 सितंबर, 2023 में प्रकाशित किया गया था।

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2024

F. No. A-12013/13/RR/2016-UIDAI (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Regulations, 2020, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Amendment Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Regulations, 2020, in the Schedule, against the post of—

(a) “Private Secretary” in column (1), for the figures, brackets and words “40* (2020) *Subject to variation dependent on workload” in the corresponding entry in column (2), the figures “38” shall be substituted;

(b) “Section Officer” in column (1), for the figures, brackets and words “59* (2020) *Subject to variation dependent on workload” in the corresponding entry in column (2), the figures “61” shall be substituted; and

(c) “Assistant Technical Officer” in column (1), for the words “Deputation/Absorption/ Direct Recruitment” in the corresponding entry in column (3), the words “Deputation/ Absorption/Direct Recruitment/Contract” shall be substituted.

ATUL KUMAR CHAUDHARY, Dy. Director General

[ADVT.-III/4/Exty./710/2023-24]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* notification number A-12013/13/RR/2016-UIDAI (No. 1 of 2020), dated the 21st January, 2020 and lastly amended *vide* notification number A-12013/13/RR/ 2016-UIDAI (E), dated the 25th September, 2023, published in the Gazette of India, Part III, Section 4, dated the 26th September, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA